अधिसूचना संख्या 190/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1977(ई), **दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1052(ई) दिनांक 11.5.2010 द्वारा, केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 10 पर, "डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर के सामने, गढ़खेड़ा परिसर, औरंगाबाद" द्वारा "जीवनज्योति-द हीलिंग टच विस्तार परियोजना" को 1880.66 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 643(ई) दिनांक 12.3.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ 1939 (ई) दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा अनुमानित लागत 1880.66 लाख रुपये से बढ़ाकर 2000 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि परियोजना लागत 2000 लाख रुपये से बढ़कर 4000 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जहां सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत परियोजना की लागत को अनुमोदित अवधि के लिए 2000 लाख रुपये से बढ़ाकर 4000 लाख रुपये करने के लिए एक और सिफारिश की।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1052 (ई) दिनांक 11.5.2010 में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है, अर्थात्: -

'उक्त अधिसूचना में, धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित क्रम संख्या (10) के सामने की तालिका में, कॉलम (4) में, "2000 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर "4000 लाख रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

■■